न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 35/2011 रा.रा.अ.

1. सुरेश पुत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम हडिया तहसील महवा जिला दौसा (फोत)
   1.1 श्रीमती सरोज पत्नि स्व0 सुरेश चंद्र
   1.2 संतोष पुत्र सुरेश चंद
   1.3 सोनू पुत्री सुरेश चंद
   समस्त जाति महाजन वाके ग्राम हडिया तहसील महवा जिला दौसा

....प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) उपखंड अधिकारी महवा जिला दौसा
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन ईकाई दौसा
3. गीता देवी पत्नि राधेश्याम जाति महाजन निवासी ग्राम रोंत तहसील महवा जिला दौसा
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना महवा, जिला दौसा
5. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा महवा जरिये शाखा प्रबंधक

..अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र वास्ते दिलवाये जाने मुआवजा राशि अवार्ड दिनांक 06.07.2010

उपस्थित–1. श्री मानसिंह गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से
4. श्री गौरव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 5 की ओर से।

<ins>निर्णय</ins> दिनांकः 09.06.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), महवा द्वारा खसरा नंबर 445 रकबा 0.05हैं. के पारित अवार्ड आदेश से असंतुष्ट होकर यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जॉच व टिप्पणी मंगवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि ग्राम हडिया तहसील महवा में स्थित भूमि ख0नं0 445 रकबा 0.05 है. का प्रार्थीगण का पति/पिता काबिज काश्तकार था। उक्त भूमि में से 379 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी ने टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री हेतु संपरिवर्तित करा ली तथा शेष भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रयनगत भूमि पर प्रार्थी की 18 पुख्ता दुकानें काफी समय से बनी हुई है जिसमें प्रार्थी का टायर रिट्रेडिंग उद्योग संचालित है। उक्त दुकानों के उपर प्रार्थी का 20 गुणा 20 फीट का एक हॉल बना हुआ है। प्रार्थी के द्वारा अपनी निर्मित 18 दुकानों में से एक दुकान जिसकी माप 10 गुणा 20 फीट अप्रार्थी सं0 3 को जरिये इकरारनामा बेचान की थी, जो दुकान मात्र का ही विक्रय किया गया था, दुकान के उपर का हिस्सा विक्रय नहीं किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 हेतु ग्राम हडिया की खसरा नंबर 445 रकबा 0.05 है भूमि संपूर्ण व उस पर स्थित निर्माण को अवाप्त किया गया था। भूमि अवाप्ति के समय भी उक्त संपूर्ण भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। भूमि अवाप्त होने पर उक्त मुआवजा निर्धारण अप्रार्थी सं.03 ने मात्र अपनी दुकान 10 गुणा 20 फीट का मुआवजा लेने हेतु ही आवेदन किया था व प्रार्थी ने भी अप्रार्थी सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:30 IST
Reason: SelfAttested

....निरन्तर 2 पर

3 को मात्र 10 गुणा 20 फीट दुकान का मुआवजा देने के बारे में ही सहमति दी थी। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने साजिश करके व गलत तरीके से गीता देवी के हक में 20 गुणा 20 फीट दो दुकान एवं उसके उपर 20 गुणा 20 फीट हॉल का गलत तकमीना बनवाकर ओर रिपोर्ट तैयार करवा ली जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0 3 ने 10 गुणा 20 फीट दुकान के स्थान पर 20 गुणा 20 फीट की दो दुकानें एवं उसके उपर निर्मित 20 गुणा 20 फीट के निर्मित हॉल को गलत तरीके से अपना बताते हुए मुआवजा राशि बनवाकर चुपचाप से प्राप्त कर ली जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी ने जब दिनांक 2.7.2010 को पारित अवार्ड की प्रति प्राप्त होने पर उक्त गलत प्राप्त किये गये मुआवजे की जानकारी हुई। अप्राथी सं0 3 की मात्र. एक दुकान जिसकी माप 10 गुणा 20 फीट है जो कि मौके पर निर्मित है उसके उपर कोई 20 गुणा 20 फीट का हॉल निर्मित नहीं है। अप्रार्थी सं0 एक ने अप्रार्थी सं0 3 के मुआवजे मे प्रार्थी की दुकान एवं प्रार्थी की दुकानों के उपर बने हुए 20 गुणा 20 फीट के हॉल को शामिल करते हुए गलत तरीके से गीता देवी के हक में अवार्ड जारी किया गया एवं अप्रार्थी गीता देवी के द्वारा उक्त पारित मुआवजे का भुगतान प्राप्त कर लिया। प्रार्थी की दुकान 10 गुणा 20 फीट एवं दुकानों के उपर बना हुआ हॉल 20 गुणा 20 फीट का जो प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व का है, जिसका प्रार्थी ही एकमात्र स्वामी है, किन्तु अप्रार्थी सं0 1 ने साजिश करके उक्त दुकान व हॉल के मुआवजे का अवार्ड प्रार्थी के नाम अवार्ड जारी नहीं किया। अप्रार्थी सं0 3 तो मात्र 10 गुणा 20 फीट की एक दुकान का ही मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी थी। प्रार्थी को उक्त गलत अवार्ड जारी होने की जानकारी होने पर अप्रार्थी सं0 1 के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 3 को मात्र एक दुकान का ही मुआवजा दिया जावे व एक दुकान व उस पर निर्मित हॉल का मुआवजा प्रार्थी को दिया जावे तो अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 3 को अलग–2 तारीखों पर नोटिस राशि जमा कराने हेतु दिये गये। अप्रार्थी सं03 द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 3 के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अप्रार्थी सं0 4 थानाधिकारी पुलिस थाना महवा को लिखा गया किन्तु थानाधिकारी पुलिस थाना महवा द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अप्रार्थी सं01 द्वारा अप्रार्थी सं0 5 शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक महवा को लिखा गया कि एन.एच.11 में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा अप्रार्थी गीता देवी द्वारा गलत रूप से प्राप्त कर लिया है जिसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है, अतः गीतादेवी के बैंक खाते में जो भी राशि है उसे आहरित न किया जावे। अग्रिम आदेश तक खाता सीज किया जाता है किन्तु अप्रार्थी सं0 5 ने अप्रार्थी सं0 3 के खाते को उक्त आदेश प्राप्ति के बाद भी सीज नहीं किया जाकर पद का दुरूपयोग किया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही किये जाने के उपरांत अप्रार्थी सं0 3 से मिलीभगत करके दिनांक 17.2.2011 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ड्रॉप कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नंबर 445 ग्राम हडिया तहसील महवा में बनी हुई प्रार्थी की एक दुकान 10 गुणा 20 फीट व उपर बने हुए 20 गुणा 20 फीट का हॉल का मुआवजा तय कर जो अप्रार्थी सं0 3 को दे दिया गया है को अप्रार्थी सं0 3 स वसूल कर प्रार्थी को दिलवाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील हैं कि जयपुर आगरा एन.एच.11 को फोरलेन करने के लिए खसरा नंबर 445 स्थित ग्राम हडिया की भूमि अवाप्त करने की उद्घोषणा की जाकर उक्त खसरा नंबर पर स्थित निर्माण का सर्वे ... एसोसियेट से करवाया गया। सर्वे में गीता देवी पत्नि राधेश्याम खंडेलवाल के ... 170836.54/–रू0 का मूल्यांकन किया गया। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा ने दिनांक 24.5.2008 को गीता देवी के पक्ष में अवार्ड पारित किया जाकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमोदित कराया गया है। प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण से पूर्व गीता देवी को मुआवजा दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की गई है तथा भुगतान करते समय उसकी पहचान

....निरन्तर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:30 IST
Reason: SelfAttested
Web Copy - Not Official
जिला कलेक्टर,दौसा

भी की गई है। प्रार्थी सुरेशचंद को अवाप्त भूमि एवं उसके निर्माण की मुआवजा राशि 13,62,715/–रू0 एवं अप्रार्थी गीता देवी को निर्माण दुकानों की मुआवजा राशि 170837/–रू0 का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। वर्तमान में कोई भुगतान शेष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की बहस में दलील है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 3 के मध्य मुआवजा राशि के स्वामित्व को लेकर विवाद है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 4 एच 4 में स्पष्ट प्रावधान है कि मुआवजा राशि के स्वामित्व को लेकर यदि पक्षकारों में किसी प्रकार का विवाद है तो उसका निर्धारण सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय द्वारा किया जावेगा। माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (5) में भी स्पष्ट प्रावधान है कि मध्यस्थ महोदय को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित अवार्ड राशि के पुनर्निधारण की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है ना कि स्वामितव के विवाद की क्षेत्राधिकारिता की। प्रार्थी द्वारा मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप में मध्यस्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं02 द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड की पालना में मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी को जमा कराई जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 3 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 5 की बहस में दलील है कि अप्रार्थी सं0 5 ने पद का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा महवा एक ऑनलाईन शाखा है तथा बिना खाता संख्या के खाताधारी के खाते का पता लगाना असभंव है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा से खाता सीज किये जाने बाबत कोई पत्र बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी सं0 3 के खाते को उक्त आदेश मिल जाने के बाद भी सीज नहीं किया जाकर अपने पद का दुरूप्योग किया है। बैंक को आज दिन तक भी कथित पत्र दिनांक 28.12.2010 प्राप्त नहीं हुआ है।प्रार्थी बैंक से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम हडिया स्थित भूमि ख0नं0 445 की 500 वर्गमीटर भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 के चौडाईकरण हेतु अवाप्त किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा प्रश्नगत आराजी का मुआवजा अवार्ड पारित किया गया जिसमें खातेदार प्रार्थी को अवाप्त 500 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा अवार्ड प्रार्थी के नाम तथा निर्माण में से 12,65,255/–रू0 एवं अन्य कुल 13,62,715/–रू0 का अवार्ड जारी किया गया है तथा अप्रार्थी सं0 3 के नाम कुल 170837/–रू. का अवार्ड पारित किया गया है। अवाप्ताधीन भूमि खसरा नंबर 445 में से प्रार्थी सुरेश चन्द के द्वारा अप्रार्थी सं03 को एक दुकान जिसकी माप 10 गुणा 20 फीट का बेचान पूर्व में जरिये इकरारनामा किया गया था। भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी होने पर अप्रार्थी सं0 3 के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा को 22 वर्गगज भूमि का मुआवजा हेतु प्रार्थना पत्र/आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा ने दिनांक 5.5.2008 को आपत्ति का निस्तारण किया जाकर खसरा नंबर 445 में आपत्तिकर्ता सिराजुद्दीन के पक्ष में निर्माण का मुआवजा /–रू0 एवं अप्रार्थी गीता देवी के पक्ष में 170837/–रू. का मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया। अप्रार्थी सं0 3 के द्वारा अवाप्तशुदा 22 वर्गगज भूमि का निर्माण मुआवजा चाहा गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा अप्रार्थी सं0 3 के पक्ष में भूतल का 34.77 वर्गमीटर एवं प्रथम तल का 16.77 वर्गमीटर एवं 6.96 वर्गमीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:30 IST
Reason: Self Attested

Web Copy - Not Official

....निरन्तर 4 पर

अन्य कुल 58.50 वर्गमीटर भूमि का कुल 189408/—रू0 का मुआवजा अवार्ड पारित किया गया है जिसे अप्रार्थी सं0 3 द्वारा प्राप्त भी कर लिया गया है। उक्त मुआवजा राशि के गलत निर्धारण होने पर प्रार्थी के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा को आपत्ति प्रस्तुत की जाने पर भूमि अवाप्ति अणिकारी ने राशि वसूली हेतु प्रार्थिया को नोटिस जारी किये गये जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा ने प्रार्थी की दुकानों के निर्माण की अवाप्त राशि का अवार्ड अप्रार्थी सं0 3 को गलत रूप से मुआवजे का निर्धारण किया गया है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एक दुकान 10 गुणा 20 फीट व उपर बने हुए 20 गुणा 20 फीट का हॉल का मुआवजा तय कर जो अप्रार्थी सं0 3 को दे दिया गया है को अप्रार्थी सं0 3 स वसूल कर प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित समझते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा पारित अवार्ड के उस भाग को निरस्त किया जाता है जिसके द्वारा अप्रार्थी सं0 3 को निर्माण का मुआवजा अवार्ड पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की भूमि पर स्थित अवाप्तशुदा निर्माण का हिस्से अनुसार पुनः मुआवजा अवार्ड पारित करें। साथ ही अप्रार्थी सं0 3 को जो अनाधिकृत भुगतान किया गया है उसकी वसूली करने हेतु एल0आर0एक्ट/पी0डी0आर0एक्ट के तहत की जाकर प्रार्थी को दिलवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 09 जून 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:30 IST
Reason: SelfAttested